न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/186 **दायरा दिनांक : 06.11.2023**

उनवान

देवीलाल पुत्र कालूलाल, जाति गूर्जर निवासी ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र प्रभूलाल, जाति गूर्जर निवासी ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
2. परमानन्द पुत्र कंवरलाल, जाति गूर्जर निवासी ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
3. रोडूलाल आत्मज किशनलाल, जाति गूर्जर निवासी ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
4. रमेश चन्द आत्मज रामप्रसाद, जाति गूर्जर निवासी ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
5. बद्रीलाल आत्मज नन्दलाल, जाति गूर्जर निवासी ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
6. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री श्याम लाल सुमन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अशोक कुमार गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.07.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 71/प्रार्थना पत्र/2013 निर्णय दिनांक 03.10.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 546 रकबा 0.0379 हैक्टयर प्रार्थी नम्बर 1 के खाते कब्जे काश्त की है, खसरा नं. 559 रकबा 0.0632 हैक्टयर प्रार्थी नम्बर 2 के खाते कब्जे काश्त की है, खसरा नं. 545 रकबा 0.4046 हैक्टयर प्रार्थी नम्बर 3 के खाते कब्जे काश्त की है, खसरा नं. 546

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 0.0379 हैक्टयर प्रार्थी नम्बर 1 व 4 के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की है, खसरा नं. 548 रकबा 0.9737 हैक्टयर प्रार्थी नम्बर 4 के खाते कब्जे काश्त की है, खसरा नं. 884/572 रकबा 0.2655 हैक्टयर अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते कब्जे काश्त की है, खसरा नं. 883/572 रकबा 0.2655 हैक्टयर अप्रार्थी नम्बर 2 बद्रीलाल के खाते कब्जे काश्त की है, खसरा नं. 882/558 रकबा 0.2782 हैक्टयर अप्रार्थी नम्बर 1 के खातें कब्जे काश्त की है एवं खसरा नं. 881/558 रकबा 0.4046 हैक्टयर अप्रार्थी नम्बर 2 के खाते कब्जे काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 03.10.2023 से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 ने अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम बाली की खसरा नं. 884/572 पश्चिम दिशा व खसरा नं. 882/558 की दक्षिणी दिशा की तरफ 7.5 मीटर चौड़ा एवं कुल दोनों खसरा नम्बर के निकलने वाले रास्ते की कुल लंबाई 95 मीटर को सरकारी रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया और खसरा नं. 545, 546, 548, 559 में आने जाने व कृषि उपकरण लाने के लिये रास्ते की मांग की, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने एकतरफा कार्यवाही करके रास्ते की भूमि देने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकतरफा है, अपीलांट प्रतिवादी को कोई तामील नहीं हुई, ना ही कोई सूचना दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजा गया सम्मन दिनांक 26.09.2023 का दुर्गेश नामक व्यक्ति को देकर तामील कराना बताया। उक्त दुर्गेश अपीलांट का पुत्र नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति को तामील करा कर अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा निर्णय किया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट (प्रतिवादी) को सम्मन की विधिवत तामील नहीं हुई, ना ही अपीलांट (प्रतिवादी) को प्रकरण की कोई सूचना दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, जो एकतरफा निर्णय है, काबिल निरस्तनीय है। ग्राम बाली से रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 का अन्य रास्ता पहले से ही मौजूद है और वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है, जिस पर कृषक आते जाते हैं और अपने कृषि उपकरण लाते ले जाते हैं। वैकल्पिक रास्ता होने से कोई नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के प्रावधान आदेश 5 नियम 15 लगायत 19 की कोई पालना नहीं की, अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, काबिल निरस्तनीय है। यदि सम्मन की विधिवत तामील होती और अपीलांट को सम्मन मिलता तो अपीलांट सम्मन का जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करता और अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट की भूमि में हांक जोतकर फसल की बुआई होने वाली है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय को सिद्धांतों की अवहेलना करके निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.10.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ राज० निरस्त फरमाया जाये।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपीलांट को कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दी है तथा अपीलांट को कोई तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 5 नियम 15 से 19 सी.पी.सी. के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की। यदि अधीनस्थ न्यायालय सम्मन की प्रक्रिया को सही तौर पर अपीलांट को देता तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करता। ऐसा नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो सम्मन भेजा है, वह दुर्गेश नामक व्यक्ति को तामील करना बताया है, दुर्गेश अपीलांट का पुत्र नहीं है, अपीलांट ने श्रीमान के सम्मानीय न्यायालय में परिवार का राशन कार्ड पेश किया है, जिसमें दुर्गेश, अपीलांट का लड़का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तहकीकात नहीं करके, कानूनी त्रुटि करके अपीलांट की भूमि से रेस्पोडेंट को रास्ता देकर कानूनी त्रुटि की है। ग्राम बाली से रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 का रास्ता पहले से ही मौजूद है, वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है, जिससे काश्तकार आते जाते हैं और अपने उपकरण ले जाते हैं, वैधानिक रास्ता होने से नया रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251–क रास्ते के प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी ने न तो मौका निरीक्षण किया, ना ही तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की, अतः निर्णय अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में 25 फुट चौडे रास्ते का विवरण दिया है, किन्तु कितनी लंबाई का रास्ता निकलेगा, यह कहीं भी अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अंतर्गत परमीशन अण्डर सब–सेक्शन है। ऑफ सेक्शन 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत फार्म नं. 1 (सी रूल्स 68) का आवेदन नहीं दिया है। इस कारण रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र धारा 251–क चलने योग्य नहीं है। धारा 251–क का प्रार्थना पत्र समरी–इंक्वायरी का है, जिस पर केवल तहसील की रिपोर्ट मांगी जाती है और मौका निरीक्षण किया जाता है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं करके कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय बउनवान रामलाल बनाम अमीचंद रिवीजन/टी. एन./6846/2016/श्री गंगानगर के निर्णय 2023 आर.बी.जे. पेज 338 प्रस्तुत कर रहा है। अतः लिखित बहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 03.10.2023 निरस्त परमाया जाये।

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि माननीय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित निर्णय की तथाकथित समय पर ही अनुपालना की जा चुकी है। निर्णय पश्चात उक्त रास्ते पर पक्का रोड़ डाबरीकरण करके बना दिया गया है। ऐसे में उक्त अपील सारहीन होने से खारिज फरमावे। माननीय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित निर्णय की तथाकथित समय पर ही अनुपालना की जाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट के खाते में आदेशित राशि का अन्तरण कर दिया है। जो कि अपीलान्ट को प्राप्त हो चुकी है। उक्त कार्य जारी नियमानुसार किया गया है जिससे अपील सारहीन हो गई है जो खारिज फरमायी जावे। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 1 कानून सम्मत नहीं है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा आदेश 5 नियम 15 CPC का जो हवाला दिया है इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को माननीय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ में लम्बित प्रकरण की जानकारी थी। CPC में नियम 15 में दर्शाया गया है कि जहाँ प्रतिवादी युक्ति–युक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर नहीं पाये जाने पर कुटुम्ब के वयस्क सदस्य को तामील की जा सकेगी उक्त तामील अपीलान्ट के कुटुम्बीय सदस्य दुर्गेश को की गई है जो कि अपीलान्ट के कुटुम्ब के परिवार का सदस्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 2 कानून सम्मत नहीं है क्योंकि अपीलान्ट को विधिवत रूप से तामील हो चुकी थी, अपीलान्ट ने स्वंय ही प्रकरण की सुनवाई के समय पर उपस्थिति नहीं देकर स्वंय त्रुटि की है और अपीलान्ट एवं प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट एक ही गाँव के निवासी हैं। अपीलान्ट के ज्ञान में यह बात थी कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने रास्ते हेतु एक याचिका उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के यहां लगा रखी है जिसके पश्चात भी अपीलान्ट ने समस्त तथ्यों की उपेक्षा करके लापरवाही बरती है और माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना देने पर भी अपना पक्ष रखने हेतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय सही व कानून उचित है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 3 उचित नहीं है क्योंकि अपीलान्ट ने उक्त बिन्दु में जो वैकल्पिक रास्ते के कथन अंकित किये हैं उसमें अपीलान्ट ने अपने कथनों में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट किन खसरा नम्बरान के वैकल्पिक रास्ते से अपनी खाते कब्जे काश्त की आराजी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में उक्त कथन मनगढ़न्त लिखे हैं जो तर्क सम्मत नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 4 उचित नहीं है क्योंकि अपीलान्ट की जानकारी में यह तथ्य पूर्णतः है कि मौकाये स्थल पर स्वंय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा दो बार भौतिक रूप से पहुंचकर मौकाये स्थल देखा गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को भी है, जिसको अपीलान्ट ने छिपाया है, अपीलान्ट माननीय अपीलीय न्यायालय से इस तथ्य को भी छिपाया है कि उक्त गांव स्थापना काल के ग्राम बाँली से जगन्नाथपुरी व डोडा पंचायत को जाने का उक्त गांव के स्थापना काल से प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा मांगे जा रहे रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिस पर ग्राम पंचायत व पंचायत समिति व प्रधान द्वारा सड़क बनाने की स्वीकृति भी प्रदान कर रखी थी जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रोड़ बनाया जा रहा था जो कि पूर्व से ही दोनों छोर से आधा–आधा डाबरीकरण द्वारा बनाया जा चुका था परन्तु अपीलान्ट ने उक्त डाबरीकरण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत माननीय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के यहां प्रार्थना पत्र संख्या

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

589/2022 तारीख दायरा दिनांक 13.12.2022 बउनवान देवीलाल बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग वगैरह के विरूद्ध पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 13.09.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट देवीलाल के उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज फरमा दिया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति लिखित बहस के साथ पेश है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त बाली गांव के स्थापना काल के रास्ते बाबत अपीलान्ट का विवाद ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों से चल रहा था। इससे यह पूर्णतः सिद्ध है कि अपीलान्ट को प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते बाबत की जा रही कार्यवाही की समस्त जानकारी थी। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 5 उचित नहीं है क्योंकि अपीलान्ट को विधिवत रूप से तामील करवाई गई है। अपीलान्ट स्वंय ही अपना पक्ष रखने माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसे में माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून उचित व सही है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 6 का तर्क उचित नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र में अपने अनुतोष में स्पष्ट अंकित किया था कि मांग किया गया रास्ता 7.5 मीटर चौड़ा 95 मीटर लम्बा दिलवाया जावे। अपीलान्ट ने भी अपनी लिखित बहस के संक्षेप तथ्यों में उक्त रास्ते के संबंध में 95 मीटर लम्बाई होने के कथन अंकित किये गये हैं। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सहवन से लम्बाई का अंकन, टंकणीय भूल से रह गया होगा जो कि इस चरण पर टंकणीय भूल नजरअंदाज योग्य है। अतः माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून उचित व सही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 7 का तर्क उचित नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से पेश किया है अपीलान्ट की ओर से उक्त बिन्दु में दिये गये विधिक कथन व रूल अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन निकालने के संबंध में है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 8 का तर्क उचित नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से पेश किया है अपीलान्ट की ओर से उक्त बिन्दु में कहे कथन कि तहसील से रिपोर्ट नहीं मंगायी तर्कहीन है क्योंकि मौकाये स्थल पर विवाद के दौरान उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण व अवलोकन किया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को भी है, जिसको अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं बताया है। उक्त कथन के संबंध में अपीलान्ट ने माननीय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्ध स्वंय (अपीलान्ट) द्वारा दर्ज कार्यवाही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसके निर्णय की प्रति लिखित बहस के साथ संलग्न है। उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रकरण में विवादित भूमि का दिनांक 21.07.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया साथ ही उक्त रास्ते के विवाद पर पटवारी कानूनगों द्वारा भी दिनांक 20.07.2023 को मौकाये रिपोर्ट तैयार की जिस पर उन्होंने स्पष्ट अंकन किया था कि मौके पर कच्चा रास्ता निकल रहा है। जिसका कई वर्षों से ग्रामवासी उपयोग कर रहे हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के बिन्दु नं. 9 का तर्क उचित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा दिये गये राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय बउनवान रामलाल बनाम अमीचन्द उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होगी। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्क कानून उचित व सही है और माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

03.10.2023 पूर्णतः कानून सम्मत सही व उचित है। जिसको बहाल रखा जावे और अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट कम 1 ल0 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बाली तहसील झालरापाटन की आराजी खसरा नं. 546 रकबा 0.0379 हैक्टर प्रार्थी नं. 1 के, खसरा नं. 559 रकबा 0.0632 हेक्टर प्रार्थी नं. 2 के, खसरा नं. 545 रकबा 0.4046 हेक्टर प्रार्थी नं. 3 के एवं खसरा नं. 546 रकबा 0.0379 प्रार्थी नं. 1 व 4 के तथा खसरा नं. 548 रकबा 0.9737 प्रार्थी नं. 4 के खाते व कब्जे काश्त की है। प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की आराजी में पंहुचने के लिये रिकार्डेड रास्ते से पश्चिम से पूर्व की ओर खसरा नं. 534 के बीच में होकर खसरा नं. 542, 543, 544, 545, 548 की उत्तरी मेड पर प्रार्थीगण के खेत तक पंहुचता है। रास्ता 7.5 मीटर चोडा एवं 95 मीटर लम्बा है जिसका विवाद है जो रास्ता प्रार्थीगण अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने व काश्तकारी सामान लाने ले जाने के लिए चाहते है। अप्रार्थी कम 1 ने खसरा नं. 884/572 की पश्चिमी दिशा वाली मेड की तरफ तथा खसरा नं. 882/558 की दक्षिणी दिशा वाली मेड पर रास्ते की रूकावट पैदा कर दी है जिस पर होकर प्रार्थीगण अनेक वर्षो से आते जाते रहे है एवं कृषि यंत्र लाते ले जाते रहे है। प्रार्थीगण की आराजी पर पंहुचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। यदि प्रार्थीगण को रोका गया तो कब्जे काश्त की आराजी बर्बाद हो जायेगी एवं कृषि कार्य नहीं हो सकेगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण इसे रास्ते के रूप में लेना चाहते है। अतः खसरा नं. 884/572 पश्चिमी दिशा व खसरा नं. 882/558 की दक्षिणी दिशा की तरफ 7.5 मीटर चौडा रास्ता सरकारी रिकार्ड में दर्ज किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 03.10.2023 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया है कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की ग्राम बाली की आराजी खसरा नं. 545, 546, 548 व 559 मे आने जाने के लिए, कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी नं. 1 के खसरा नं. 884/572 एवं 882/558 के अलावा रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं होने से अप्रार्थी नं. 1 के खाते की आराजी ग्राम बाली के खसरा नं. 884/572 की पश्चिम दिशा व खसरा नं. 882/558 की दक्षिण दिशा की तरफ 25 फीट चौडा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के खाते में जमा करने के पश्चात् तहसीलदार झालरापाटन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते का उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है उक्त राशि जमा होने के पश्चात रास्ते की भूमि को नापकर नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। ये रास्ता किसी भी स्थिति में 25 फीट चौडाई से अधिक नहीं हो। रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.09.2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण अपीलांट को जरिये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सम्मन तलब कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.09.2023 को नियत की गई। दिनांक 26.09.2023 को ही अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण पर व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामील नहीं हुई है। अपीलांट देवीलाल के सम्मन की तामील पुत्र दुर्गेश पर करना तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में अंकित है परन्तु अपीलांट का कथन है कि दुर्गेश नाम का उसका कोई पुत्र नहीं है। तामील रिपोर्ट में देवीलाल पर व्यक्तिगत तामील नहीं होने का कोई कारण अंकित नहीं है और ना ही दुर्गेश की पहचान करने वाले गवाह का नाम, पता अंकित है। इसी प्रकार अप्रार्थी बद्रीलाल पर भी सम्मन की व्यक्तिगत तामील नहीं करवायी गई और ना सम्मन प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर तामील रिपोर्ट पर करवाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कियान्वयन हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर प्राप्त करना एक आज्ञापक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय सी. पी. सी. के आर्डर 5 एवं धारा 251 –क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कियान्वयन हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2023 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए उपखण्ड अधिकारी स्वयं या तहसीलदार से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्राप्त करें। तत्पश्चात प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा